(68)
(65)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 7-11/94/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 19 मई, 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मेरिट के आधार पर चयन किए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के संबंध में स्पष्टीकरण

रांदर्भ.— इस विभाग का सम-संख्यक पत्र दिनांक 22-10-94 एवं 6/10 जुलाई 1995

इस विभाग द्वारा संदर्भ में अंकित परिपत्रों में राज्य शासन के इस निर्णय से अवगत कराया गया था कि उक्त वर्गों का कोई उम्मीदवार यदि अपनी विशिष्ट योग्यता के आधार पर सामान्य वर्ग के चयन किए उम्मीदवारों के साथ चयनित हो जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाएगा. ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा या नहीं आदि के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :—

> "ऐसे उम्मीदवार जो सामान्य वर्ग की सूची में मेरिट के आधार पर चयन होते हैं, रोस्टर में उन्हें रोस्टर के अनारक्षित-बिन्दु के समक्ष दर्शाया जाएगा, सेवा पुस्तिका में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जैसी भी स्थिति हो, लिखा जाएगा तथा उन्हें भविष्य में आरक्षण का लाभ देय होगा."

कृपया उपरोक्त निर्णय सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को अवगत कराया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एस. पी. रयाल)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ. 7-11/94/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 19 मई, 1997

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त संगठन, कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,

2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल,
सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

3. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.

4. प्रमुख सचिव/सचिव/आपर सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.

5. अवर सचिव (स्थापना) अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल.

6. सहायक महानिरीक्षक (चयन) पुलिस मुख्यालय, म. प्र. भोपाल की ओर उनके अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक पु. मु./2/चयन/सा.-2/81, दिनांक 12-8-96 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(जी. एल. अहिरवार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.